



2026:AHC:29884-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

वाणिज्यिक अपील त्रुटिपूर्ण संख्या - 3/2026

साजिद अंसारी

..... अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स आई थिंक ऐप्स प्राइवेट लिमिटेड एवं 2 अन्य

..... प्रतिवादी

अपीलार्थी के अधिवक्ता : अनुप शुक्ला, देवांश मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : राहुल अग्रवाल (वरिष्ठ अधिवक्ता), देवेंद्र कुमार मिश्रा

न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. अपील दायर करने में 9 दिनों का विलंब है।
2. विलंब क्षमा हेतु आवेदन पत्र शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदन और शपथ पत्र में वर्णित कारणों के आधार पर, जिनका विरोध नहीं किया गया है, आवेदन स्वीकार किया जाता है।
4. अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।
5. वर्तमान अपील वाणिज्यिक न्यायालय, वाराणसी द्वारा मूल वाद संख्या 45/2025 में पारित आदेश दिनांक 21.11.2025 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध एकपक्षीय व्यादेश प्रदान किया गया है।
6. वाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपीलार्थी को वादी के क्षेत्र sarkariresult.com या इसके किसी भी संबंधित रिकॉर्ड सेटिंग क्रेडेंशियल, डी.एन.एस. विन्यास या प्रशासनिक नियंत्रणों तक किसी भी तरह से पहुँचने, परिवर्तन करने, संशोधित करने, स्थानांतरित करने, छेड़छाड़ करने और उल्लंघन करने से रोकने हेतु व्यादेश की मांग की गई थी। इसी वाद-कारण से संबंधित अन्य अनुतोषों के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 3 को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह वादी के ईमेल आईडी की क्षेत्र तक पूर्ण और निर्बाध पहुँच को तुरंत बहाल करे और अनधिकृत एवं धोखाधड़ी से डाली गई ईमेल आईडी आदि को तत्काल हटा दे।
7. वाणिज्यिक न्यायालय ने प्रथम तिथि पर ही वाद के साथ दायर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 के आवेदन पर एकपक्षीय सुनवाई की, इस संबंध में उठाए गए तर्कों को संज्ञान में लिया और निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"आवेदन 6ग (सी) के निस्तारण हेतु प्रतिवादियों को पंजीकृत डाक और मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिनांक 09.12.2025 के लिए नोटिस जारी किया जाए। उस तिथि तक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रतिवादी संख्या 1 और 2 तथा उनके एजेंटों, प्रतिनिधियों या उनकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को वादी के क्षेत्र 'sarkariresult.com.cm' तक पहुँचने, परिवर्तन करने, संशोधित करने, स्थानांतरित करने, छेड़छाड़ करने और उल्लंघन करने तथा उक्त क्षेत्र पर किसी भी स्वामित्व, अधिकार, हक या हित का दावा करने से प्रतिबंधित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 3 नेटसेटेरा लिमिटेड को भी निर्देशित किया जाता है कि वह वादी की उक्त क्षेत्र और उसकी ईमेल आईडी 'sarkariresultcm@gmail.com' तक निर्बाध पहुँच को तत्काल बहाल करे। प्रतिवादी संख्या 3 को ईमेल आईडी 'sajeedre@gmail.com' को मान्यता न देने का भी निर्देश दिया जाता है।

आवेदन 6ग (सी) के निस्तारण हेतु दिनांक 09.12.2025 को सूचीबद्ध करें। वादी का सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 (क) के अनिवार्य अनुपालन का तत्काल पालन करने का निर्देश दिया जाता है।"

8. व्यथित होकर वर्तमान अपील दायर की गई है।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वाणिज्यिक न्यायालय इस प्रकृति का व्यादेश देने के लिए उचित नहीं था, जिसमें वाद में मांगे गए अंतिम अनुतोष को ही अंतरिम चरण में प्रदान कर दिया गया है और वह भी एकपक्षीय रूप से; अतः विवादित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। पक्षों के बीच विवाद के गुण-दोष पर भी आगे तर्क दिए गए।

10. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने विवादित आदेश का समर्थन किया। यह तर्क दिया गया कि वाद और आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के आवेदन में किए गए कथन स्पष्ट रूप से इस प्रकृति के व्यादेश के लिए मामला बनाते हैं और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आगे यह भी कहा गया कि अपीलार्थी ने पहले ही अपना लिखित कथन और आवेदन का उत्तर आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अनुसार दाखिल कर दिया है और उसका प्रत्युत्तर अगली तिथि 23.02.2026 से पहले दाखिल कर दिया जाएगा। यदि व्यादेश को अगली तिथि तक जारी रहने दिया जाता है, तो अपीलार्थी को कोई क्षति नहीं होगी।

11. हमने प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

12. जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, वादी ने प्रतिवादियों के विरुद्ध अन्य बातों के अलावा निषेधात्मक अनुतोष और प्रतिवादी संख्या 3 को वादी की ईमेल और क्षेत्र तक पूर्ण पहुँच बहाल करने हेतु सकारात्मक/अनिवार्य निर्देश देने की मांग की है।

13. स्वीकार्य रूप से, वाद दायर करने की तिथि तक, वादी की ईमेल आईडी की उस क्षेत्र तक पहुँच नहीं थी जिसके संबंध में वाद में विवाद उठाया गया है। वाणिज्यिक न्यायालय ने तर्कों को नोट करने के अलावा, एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश वह भी अनिवार्य रूप में देने के लिए कोई कारण दर्ज किए बिना विवादित आदेश पारित कर दिया है। जहाँ तक वादी की निर्बाध पहुँच बहाल करने के निर्देश का प्रश्न है, अनिवार्य रूप में एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश केवल असाधारण मामलों में ही दिया जा सकता है और ऐसे आदेश को पारित करते समय न्यायालय द्वारा बहुत ठोस कारण दर्ज किया जाना आवश्यक है। तथापि, ऐसे कारणों के अभाव में, वर्तमान प्रकृति के अनिवार्य व्यादेश की स्वीकृति नहीं दी जा सकती।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



14. जहाँ तक यथास्थिति बनाए रखने की प्रकृति के अंतरिम व्यादेश का प्रश्न है, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को वादी के क्षेत्र में छेड़छाड़ करने या उल्लंघन करने से रोका गया है, मामले की परिस्थितियों में ऐसा आदेश एकपक्षीय चरण में भी वैध रूप से पारित किया जा सकता है।

15. इसके दृष्टिगत, वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा एकपक्षीय व्यादेश के माध्यम से वादी की ईमेल आईडी की क्षेत्र तक निर्बाध पहुँच बहाल करने के निर्देश की सीमा तक पारित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता।

16. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

17. वाणिज्यिक न्यायालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 21.11.2025 को पारित आदेश का वह अंश जिसके द्वारा "प्रतिवादी संख्या 3 नेटसेटेरा लिमिटेड (नेटसेटेरा.यूके) को वादी की क्षेत्र 'sarkariresult.com.cm' और उसकी ईमेल आईडी 'sarkariresultcm@gmail.com' तक निर्बाध पहुँच बहाल करने तथा ईमेल आईडी 'sajeedre@gmail.com' को मान्यता न देने" का निर्देश दिया गया है, उसे निरस्त किया जाता है।

18. चूंकि मामला 23.02.2026 को वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष आ रहा है, इसलिए वाणिज्यिक न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आदेश 39 नियम 1 और 2 के आवेदन पर पक्षों को सुनने का प्रयास करें और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करें।

19. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस अपील का निर्णय करते समय इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को विवाद के गुण-दोष पर न्यायालय की राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं लिया जाएगा। यह आदेश केवल वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के कारण पारित किया गया है।

(माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

आर.के./शाजिया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"